फैक्स / अकेक्षण

अत्यावश्यक

पत्रांक –आ0प्र0(अकेक्षण)–06 / 2015 / 2279 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक

अनिरुद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना–15, दि0– 15/10/15

विषय : **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 1999–2000 की सिविल कंडिकाओं 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 की आपत्तियों का विस्तृत प्रतिवेदन (उत्तर) / निराकरण प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक कंडिकाओं के संबंध में कहना है कि कंडिकाओं में वर्णित अपने जिला से संबंधित आपत्तियों पर ऊपर प्रतिवेदन संगत एवं स्पष्ट साक्ष्य के साथ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि उन्हें बिहार विधान सभा सचिवालय को समय से उपलब्ध कराया जा सके । ऊपर प्रतिवेदन बिल्कुल स्पष्ट एवं संगत साक्ष्य भी स्पष्ट एवं सुपठ्य हो कृपया इसपर विशेष ध्यान रखा जाय। विषयांकित कंडिकाओं की आपत्ति जो कुल 10 पृष्ठों में है, आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कृपया इसे डाउनलोड कर संबंधित कंडिकाओं का ऊपर प्रतिवेदन कंडिकावार अलग–अलग शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि उन्हें संगत संचिकाओं में संधारित कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

15/10/15

(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Surendra Sir\Civil Kandik.docx

3.3.4 बाढ़ पीड़ितों को राहत

अधिसंख्य लोगों को राहत सहायता नहीं एवं वृहत राशियाँ अव्यवह्यत रहीं।

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के बाढ़ प्रतिवेदनों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि वर्ष 1995–99 के दौरान 11 जिलों[6] के 1242 गाँवों में 7.77 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी। फिर भी इन जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जबकि राज्य राहत समिति के अनुसंशा पर साहाय्य आयुक्त द्वारा बाढ़ राहत उपायों के लिए इन जिलों के जिलाधीशों को 2.86 करोड़ रुपये आबंटित किये गए थे। नमूना जाँचित 2 जिलों[7] (11 में से) में आबंटित निधि का 1.10 करोड़ रुपये आहरित किए गए एवं जिलाधिकारियों द्वारा 2 बैंकों में अव्यवह्यत रख दिए गए। आबंटित निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के लिए जिलाधिकारियों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्षति का आकलन किए बगैर जिलाधिकारियों को निधि मुहैया किया गया।

बाढ़ राहत उपायों के लिए 15 जिलाधिकारियों[8] को सहाय्य आयुक्त द्वारा वर्ष 1995–99 के दौरान 5.12 करोड़ रुपये आबंटित किये गए थे हाँलाकि इन जिलाधिकारियों के द्वारा बाढ़ का कोई प्रतिवेदन नहीं था। इसके विरूद्ध 8 जिलाधिकारियों[9] ने आंशिक रूप से 1.18 करोड़ रुपये अभ्यर्पित कर दिए जबकि शेष 3.94 करोड़ रुपये जिलाधिकारियों द्वारा रोक रखे गये थे।

3.3.5 आपदा राहत के लिए लेखा नहीं

लेखा का अनुचित रूप से संधारण हुआ था।

आपदा राहत कोष के लेखा को संधारित करने के लिए जिम्मेवार, सहाय्य आयुक्त के पास व्यय एवं निधि की उपयोगिता का केन्द्रीकृत अभिलेख नहीं था। जिलाधिकारियों ने आबंटित निधि को कोषागारों से आहरित किया एवं इसे आरंभिक रूप से बैंक में जमा करा दिया तथा उसके बाद राहत कार्यो पर व्यय करने के लिए सम्बद्ध पदाधिकारियों को चेक के माध्यम से राशि अग्रिम दिया। जिलाधिकारियों ने, अपने द्वारा मुहैया कराये गए निधियों के लिए, इन पदाधिकारियों से व्यय के ब्यौरे प्राप्त नहीं किया था, जैसा कि नियमों के तहत अपेक्षित था। इस प्रकार राज्य एवं जिला स्तरों पर व्यय का अनुश्रवण नहीं था।

3.3.5.1 आपदा राहत कोष की संरचना नहीं

आपदा राहत कोष की स्थापना नहीं हुई एवं राहत कोष में अंशदान का निवेश नहीं हुआ।

प्राकृतिक आपदा को वित्त प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य को आपदा राहत कोष (आ.रा.को.) की संरचना करनी थी एवं कोष के अभिवृद्धि का निवेश राज्य के सामान्य राजस्व से बाहर किया जाना था। निवेशित निधि के साथ–साथ इन निवेशों से प्राप्त आय को राहत सहायता पर व्यय करने के लिए उपयोग करना था।

हालाँकि, ऐसा कोई कोष संरचित नहीं किया गया एवं वर्ष 1995–2000 के दौरान सामान्य राजस्व से बाहर 273.53 करोड़ रुपये (भारत सरकार : 205.14 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार : 68.39 करोड़ रुपये) के उपलब्ध निधि का निवेश नहीं किया गया था। संयुक्त सचिव, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग ने बताया (मई 2000) कि आरक्षित निधि में

---

6 *अररिया, बाँका, बक्सर, बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण, लक्खीसराय, मुंगेर, पटना, शेखपुरा, सिवान, शिवहर*

7 *पूर्वी चम्पारण (वर्ष 1999–2000 में 72.16 लाख रुपये), पटना (वर्ष 1998–99 में 37.60 लाख रुपये)*

8 *अररिया, बक्सर, भोजपुर, चाईबासा, पूर्वी चम्पारण, जमुई, किशनगंज, लक्खीसराय, मुंगेर, पटना, सारण, सीवान, साहबगंज, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण*

9 *भोजपुर, बक्सर, चाईबासा, मुंगेर, पटना, सीवान, साहेबगंज, वैशाली*

निवेश के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया अतः सामान्य राजस्व से बाहर निधि का निवेश नहीं हुआ।

3.3.5.2 विस्तृत आकस्मिक विपत्र उपस्थापित नहीं किया गया

138.81 करोड़ रुपये के लिए 431 सार आकस्मिक विपत्रों के लेखे समर्पित नहीं किए गए।

वर्ष 1995–2000 के दौरान राहत व्यय को पूरा करने के लिए 6 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा 431 सार आकस्मिकता विपत्रों पर 138.81 करोड़ रुपये आहरित किए गए थे। हालाँकि जून 2000 तक विस्तृत आकस्मिकता विपत्र तैयार नहीं किए गए थे एवं महालेखाकार को उपस्थापित नहीं किए गए थे जबकि आकस्मिकता विपत्र पर निकासी के एक माह के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित था। जिलाधिकारियों ने सार आकस्मिकता विपत्रों (सा.आ.वि.) पर बारम्बार आहरण किया था एवं विपत्रों पर आवश्यक प्रमाण–पत्र दर्ज नहीं किया था कि पूर्ववर्ती माह में आहरित सार आकस्मिकता विपत्रों के लिए विस्तृत आकस्मिकता विपत्र नियंत्री पदाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के लिए एवं महालेखाकार को उपस्थापित कर दिया गया था। सम्बद्ध जिलों के कोषागार पदाधिकारियों ने इस आवश्यकता पर दबाव नहीं दिया एवं नियमों की अवहेलना करते हुए सा.आ.विपत्रों को पारित किया था। इसप्रकार, यह जाँचने के लिए कि क्या इन राशियों का वास्तविक व्यय उन उद्देश्यों के लिए किए गए, जिनके लिए ये आहरित किए गए थे, जिलाधिकारियों के पास कोई सूचना नहीं थी।

पूर्व में हो चुके व्यय के लिए सा.आ. विपत्रों पर आहरण ।

जिलाधिकारी, पटना ने पूर्व में हो चुके एवं अग्राह्य अभिश्रवों के विरूद्ध समायोजित व्यय के विरूद्ध दो ए.सी. बिलों पर अगस्त 1998 (6.04 लाख रुपये) एवं अक्टूबर 1998 में (2.00 लाख रुपये) 8.04 लाख रुपये अनियमित रूप से आहरित किए थे। इस तरह से समायोजित अभिश्रव भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गयी थी। ए.सी बिलों के विरूद्ध अनियमित व्यय की राशि के अग्राह्य का पुनर्समायोजन तथा इसमें दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था। मामला का अन्वेषण अपेक्षित था।

3.3.5.3 निधियों का प्रावधान एवं व्यय

(क) आपदा राहत कोष एवं आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष

वर्ष 1995–2000 के दौरान शीर्ष '2245–प्राकृतिक आपदा के मद में राहत' के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार थे :

वर्ष	केन्द्रीय अंश की प्राप्ति			राज्य अंशदान			बजट प्रावधान	व्यय	बचत (–)
	आ.रा. को.	आ.रा. रा.को.	योग	आ.रा.को.	आ.रा. रा.को.	योग			
	(करोड़ रुपये में)								
1995-96	36.78	--	36.78	12.26	4.62	16.88	53.66	22.93	30.73
1996-97	38.97	21.00	59.97	13.99	1.54	15.53	75.50	47.15	28.35
1997-98	41.12	--	41.12	13.71	1.54	15.25	56.37	25.55	30.82
1998-99	43.22	10.00	53.22	123.41	1.54	124.95	178.17	148.76	29.41
1999-2000	45.05	11.45	56.50	46.02	1.54	47.56	104.06	91.08	12.98
योग	**205.14**	**42.45**	**247.59**	**209.39***	**10.78**	**220.17**	**467.76**	**335.47**	**132.29**

* बिहार आकस्मिकता निधि से राज्य द्वारा आहरित 141 करोड़ रुपये सहित.

संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

वृहत् राशि व्यपगत हो गए।

(i) अधिशेष निधि का निवेश नहीं किया गया था, 132.29 करोड़ रुपये के प्रावधान व्यपगत हो गए।

आ.रा.रा.को. रिजर्व में राज्य अंश का योगदान नहीं दिया गया।

(ii) अति कठोर आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995–2000 की अवधि हेतु 700 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ एक 'आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष' (आ.रा.रा.को.) की स्थापना की गयी। आ.रा.रा.को. के आकार में केन्द्र एवं राज्य सरकार का 3:1 के अनुपात में अंशदान था। 10.78 करोड़ रुपये का राज्य अंश, जो वर्ष 1995–2000 के बजट में सम्मिलित था, आ.रा.रा.को. रिजर्व में राज्य द्वारा अंशदान नहीं दिया गया एवं व्यपगत हो गया।

केन्द्र द्वारा दी गई निधि का उपयोग नहीं किया गया।

(iii) अति कठोर प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को राहत मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996–97 से 1998–99 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य को 49.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि राज्य सरकार ने 42.45 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था। केन्द्रीय निधि के 28.00 करोड़ रुपये उपयोग नहीं किए गए।

(ख) प्रधानमंत्री राहत कोष

वृहत निधि विभाग के बैंक खातों में पड़े रहे।

प्राकृतिक (1236) एवं मानव प्रदत्त (81) तथा अन्य (1) आपदाओं के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य ने वर्ष 1995–2000 के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष से 7.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। रकम की प्राप्ति रोकड़ बही में दर्ज नहीं थी एवं बचत बैंक खाता रखा गया था। जिलों में दिवंगत के परिवारों को संवितरण करने के लिए बैंक में जमा की गयी निधि में से 4.82 करोड़ रुपये 38 जिलाधिकारियों[10] को भुगतान किए गए थे। शेष 2.18 करोड़ रुपये मार्च 2000 तक अव्यवहृत पड़े रहे।

निधियों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विभाग को कोई सूचना नहीं थी। नमूना–जाँचित जिलों में ज्ञात हुए विन्दुएँ निम्नवत थे :

(i) *अनुपयोगित निधि*

वृहत निधियाँ जिलाधिकारियों के बैंक खाते में अनुपयोगित पड़ी थी।

नमूना जाँचित 5 जिलों (दरभंगा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी) में जिलाधिकारियों ने प्राकृतिक एवं मानव प्रदत्त आपदाओं से मरने वालो के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2.31 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। इसमें से 1.43 करोड़ रुपये उन्होंने लाभार्थियों को भुगतान किया। जिलाधिकारी (सीतामढ़ी) ने 4.50 लाख रुपये सहाय्य आयुक्त को लौटा दिए एवं शेष 83.03 लाख रुपये जिलाधिकारियों (पटना : 1.50 लाख रुपये ; सीतामढ़ी : 23.00 लाख रुपये ; दरभंगा : 25.50 लाख रुपये ; जहानाबाद : 8.53 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 24.50 लाख रुपये) के बैंक खाते में अगस्त 1996 से जून 2000 तक अव्यवहृत पड़े थे।

पर्याप्त राशि अन्य कार्यों के लिए विपथित किए गए।

जिलाधिकारी, जहानाबाद ने लाभार्थियों को 8.53 लाख रुपये राहत का भुगतान नहीं किए जाने के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किया जबकि लाभार्थियों की पहचान नहीं किए जाने के कारण 4 जिलों में 74.50 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी, जहानाबाद ने लक्ष्मणपुर–बाथे नरसंहार में मृतक एवं घायलों के परिवारों को नकद भुगतान के लिए रखे 2.47 लाख रुपये का विपथन राज्य राहत

---

10 *अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, देवघर, पूर्वी चम्पारण, गढ़वा, गया, गीरिडीह, गोड्डा, गोपालगंज, हजारीबाग, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, लक्खीसराय, मुंगेर, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, साहेबगंज, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, रोहतास, वैशाली*

समिति की स्वीकृति के बगैर पीड़ितों के परिवारें के लिए भोजन एवं अन्य सामग्री के खरीद के मद में कर दिया था।

(ii) *अस्वीकार्य भुगतान*

अति लदान के कारण नाव दुर्घटना के मद में अस्वीकार्य भुगतान।

साहाय्य आयुक्त ने जहानाबाद जिले में नाव दुर्घटना शिकार के 30 परिवारों को राहत के भुगतान के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से जिलाधिकारी, जहानाबाद को 15.00 लाख रुपये आबंटित किया (दिसम्बर 1997)। चूँकि नाव दुर्घटना अति लदान के कारण हुई थी एवं बाढ़ के कारण या बाढ़ के द्वारा नहीं हुई थी अतः सिर्फ आश्रितों को 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाना स्वीकार्य नहीं था। साथ ही, सरकार के बाढ प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान जहानाबाद जिले में बाढ़ या बाढ़ के कारण मृत्यु नही हुई थी।

(ग) मानव–प्रदत्त आपदाएँ

जिलों को आवंटित निधि व्यय के रूप में मानी गई।

वर्ष 1995–2000 के दौरान मानव प्रदत्त आपदाओं के पीड़ितों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए 7.24 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से 6.74 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। नियंत्री पदाधिकारी ने आ.व्य.पदाधिकारियों से नियमानुसार मासिक व्यय विवरणी प्राप्त नहीं किया एवं आबंटित निधि को व्यय के रूप में मान लिया था।

गृह (विशेष) विभाग द्वारा निर्धारित (सितम्बर 1987) मानक के अनुसार जाति/सांप्रदायिक दंगे एवं उग्रवादी गतिविधियों के शिकार के परिवारों को 0.20 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। साम्प्रदायिक दंगे के शिकार के आश्रितों को भुगतान करने के लिए इस मानक को बढ़ाकर (अक्टूबर 1989) 1.00 लाख रुपये कर दिया गया। इस मानक की अवहेलना के मामले निम्नवत थे :

मानक से अधिक भुगतान।

(i) मार्च 1991 एवं अगस्त 1998 के मध्य उग्रवादी हिंसा (46), बस दुर्घटना (27) एवं पुलिस फाइरिंग (01) में मारे गए मृतकों के 74 परिवारों को राहत का भुगतान करने के लिए विभाग ने जिलाधिकारी, गया को वर्ष 1995 एवं 2000 के मध्य 29.93 लाख रुपये आबंटित किया था। उग्रवादी हिंसा (जुलाई 1991 एवं अगस्त 1998 के मध्य) के 32 मृतकों के आश्रितों को सितम्बर 1993 एवं फरवरी 1999 के मध्य जिलाधिकारी द्वारा किए गए 14.30 लाख रुपये के भुगतान में से 10.50 लाख रुपये का भुगतान मृतक के 13 परिवारों[11] को 0.50 लाख रुपये से 1.00 लाख रुपये के दर से किया गया था। शेष 15.63 लाख रुपये का भुगतान 42 मृतक एवं 32 घायलों के परिवारों को अबतक नहीं किया गया (दिसम्बर 1999)।

(ii) 14 जिलों[12] में उग्रवादी (69), साम्प्रदायिक (6) एवं जातीय (2) हिंसा के 77 मामले थे जहाँ राहत भुगतान के लिए निधि विमुक्त करने में 4 महीनों से लेकर 18

---

11 *अब्दुल वहीद (1.00 लाख रुपये), बबन यादव (0.50 लाख रुपये), रामलखन यादव (0.50 लाख रुपये), बलराम कुमार यादव (1.00 लाख रुपये), साधु यादव (0.80 लाख रुपये), अरूण कुमार यादव (0.80 लाख रुपये), सिताराम यादव (0.80 लाख रुपये), देवलाल यादव (1.00 लाख रुपये) केदार यादव (1.00 लाख रुपये), देवनन्दन यादव (1.00 लाख रुपये), राजकुमार सिंह यादव (1.00 लाख रुपये), हरद्वार सिंह यादव (0.60 लाख रुपये), आखेलेश कुमार (0.50 लाख रुपये)*

12 *अररिया, औरंगाबाद, भभुआ भोजपुर, बोकारो, चतरा, गढ़वा, गया, जहानाबाद, जमशेदपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी*

वर्षो तक का विलम्ब किया गया था। प्रशासनिक विलम्ब एवं पुलिस अन्वेषण में विलम्ब के कारण 5 जिलों[13] में साम्प्रदायिक एवं उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को भुगतान में 4 से लेकर 18 वर्षो तक का विलम्ब किया गया था।

राहत सहायता के भुगतान में भेदभाव।

(iii) जहानाबाद जिले में जून 1991 एवं मार्च 1999 के मध्य उग्रवादी हिंसा में मारे गए 147 लोगों (1.52 करोड़ रुपये) एवं घायल 19 लोगों (2.65 लाख रुपये) के निकटतम आश्रितों को अप्रील 1995 एवं दिसम्बर 1999 के मध्य 1.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इन रकमों में से 1.49 करोड़ रुपये का भुगतान 0.80 लाख रुपये एवं 1.25 लाख रुपये की दरों पर मुख्यमंत्री की घोषणा पर 132 मृतकों के परिवारो को किया गया था। 15 परिवारों को प्रति परिवार 20000 रुपये के दर से भुगतान किया गया था एवं 11 मृतकों, जो उग्रवादी हिंसा में मारे गए थे, के परिवारों को कोई भुगतान नहीं किया गया था जबकि घटना की अवधि (सितम्बर 1995 से मार्च 2000) के दौरान निधि उपलब्ध थी। साथ ही, जिलाधिकारी ने एक व्यक्ति को (ललेश्वर बिघा निवासी कौलेश्वर यादव का पुत्र विजय कुमार) हृदय रोग चिकित्सा हेतु 0.10 लाख रुपये का भुगतान किया था।

(iv) 23 मार्च 1997 को उग्रवादियों द्वारा मारे गए पटना जिले के हैबसपुर, रानीतालाब के 10 मृतक के परिवारों को जिलाधिकारी, पटना ने अक्टूबर 1998 में अनुमण्डलाधिकारी, दानापुर के माध्यम से मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर प्रति परिवार 1.00 लाख रुपये के दर से 10 लाख रुपये का भुगतान किया था जबकि मानक प्रति परिवार 0.20 लाख रुपये था।

(v) मई 1998 में जिलाधिकारी, पटना ने मुख्यमंत्री के निर्देश (जुलाई 1995) पर दो वैसे मृतक के परिवारों को 1.00 लाख रुपये का भुगतान किया था जिन्हें अपराधियों द्वारा अपहरण किया गया था एवं मार दिया गया था। ऐसे मामले में राहत का भुगतान किया जाना सरकार के मानकों के अन्तर्गत नहीं आता था।

(vi) इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर में 13 अप्रील 1998 को मारे गए एक भूतपूर्व मंत्री की विधवा को जिलाधिकारी, पटना ने 10.00 लाख रुपये का भुगतान किया था। मृतक की विधवा से आवेदन, प्रथम सूचना रपट की प्रति/पुलिस एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों का जाँच प्रतिवेदन के साथ 'केस फाइल' जिला अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराया गया। बुनियादी अभिलेख के अभाव में भुगतान की देयता जाँचने योग्य नहीं था।

3.3.6 जिलों में 'आपदा राहत कोष' के परिचालन में वृहत त्रुटियाँ

3.3.6.1 अनुपयोगित राहत कोष : 24.47 करोड़ रुपये

वृहत अव्यवहृत निधि से उनके दुर्विनियोजन/ दुरुपयोग का जोखिम था।

(क) नमूना जाँचित 6 जिलों[14] में जिलाधिकारियों ने बाढ़/आगजनी राहत सहायता के लिए वर्ष 1995–2000 के दौरान कोषागार से 136.48 करोड़ रुपये आहरित किए थे जबकि मार्च 1995 के समाप्ति पर उनलोगों के पास 3.40 करोड़ रुपये का शेष था, हालाँकि तात्कालिक आवश्यकता के बगैर निधि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए था। इसके विरूद्ध मार्च 2000 की समाप्ति पर जिलों (16.14 करोड़ रुपये) एवं 9

---

[13] *अररिया, बोकारो, जमशेदपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर*

[14] *दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, जंहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी*

अनुमण्डलों[15], 20 प्रखंड विकास कार्यालयों[16] तथा 71 अंचल कार्यालयों[17] (8.33 करोड़ रुपये) में 24.47 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत) अनुपयोगित पड़े थे। वृहत अव्यवहृत शेष को रोके रखने से सरकारी राशि के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन के जोखिम का खतरा था।

आहरित निधि को 'सिविल डिपाजिट' में रखी गयी थी।

(ख) साहाय्य आयुक्त ने बाढ़ राहत सहायता के लिए कटिहार जिला को वर्ष 1999–2000 में 1.39 करोड़ रुपये आबंटित किया था। इसमें से 63.51 लाख रुपये जिलाधिकारी (60.51 लाख रुपये) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, फलका (3.00 लाख रुपये) द्वारा मार्च 2000 में 'सिविल डिपोजिट' में रख दिया गया था, यद्यपि अनुज्ञेय नहीं था।

राशि आहरित किए गए एवं बैंक में रख दिए गए।

(ग) जिलाधिकारी, पटना ने वित्तीय वर्ष 1999–2000 के अन्तिम क्षण (30 मार्च 2000) में 88 लाख रुपये आहरित किया एवं राशि को अनाधिकृत रूप से एक बैंक में रख दिया था जबकि वर्ष 1999 के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन (64 लाख रुपये), चूड़ा–सत्तू (8 लाख रुपये) एवं नकद (16 लाख रुपये) सहायता के लिए अगस्त 1999 के महीने में निधियाँ आबंटित की गयी थी। इस निधि को आहरित करने में बहुत विलम्ब करने के कारण राहत उपलब्ध कराने की अल्प उम्मीद थी। राहत निधि के दुरुपयोग एवं दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

3.3.6.2 दुर्विनियोजन एवं हानियाँ : 19.20 करोड़ रुपये

नमूना जाँचित 8 जिलों में कुल निधि (आहरित किए गए 139 करोड़ रुपये में से) में से 19.20 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) के निधि (रोकड़ : 6.84 करोड़ रुपये) एवं सामग्रियों (भोजन सामग्री : 11.27 करोड़ रुपये, अन्य सामग्री : 1.09 करोड़ रुपये) का दुर्विनियोजन/हानि हुआ था। दुर्विनियोजन एवं हानियों का परिमाण और अधिक हो सकता था क्योंकि सम्बद्ध जिलों के सभी लेन–देनों को लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था। विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट – XIX संदर्भित है।

3.3.6.3 राहत निधि का दुरुपयोग : 6.27 करोड़ रुपये

नमूना जाँचित 8 जिलों में कुल 6.27 करोड़ रुपये के राहत निधि का दुरुपयोग/विपथन अवांछित उद्देश्यों पर किया गया था। हालाँकि, निधियों का दुरुपयोग और हुआ होगा जिसे लेखापरीक्षा में आँका नहीं जा सका क्योंकि सम्बद्ध जिलों के सभी लेन–देनों के नमूना–जाँच नहीं किए गए थे (विवरण के लिए परिशिष्ट–XX संदर्भित)। आधार, जिसके लिए निधि मुख्यतः दुरुपयोग किए गए थे, निम्नवत थे :

---

15 *अररेाज, बारसोई, बेलसण्ड, चकिया, दानापुर, पकरीदयाल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल*

16 *बरगेनिया, बथनाहा, बाजपट्टी, डूमरा, दण्डखोरा, दरभंगा, जहानाबाद, हायाघाट, कोदवा, कुरशेला, कुशेश्वरस्थान (पू.) किरतपुर, मेजरगंज, मनिहारी, फलका, परसौनी, संग्रामपुर, समेली, सुरसण्ड, सुप्पी।*

17 *आदापुर, अररेाज, आजमनगर, अमेंदाबाद, औराई, बहेरी, बलरामपुर, बारसोई, बोचहाँ, बन्दरा, बिरौल, बरगेनिया, बाजपट्टी, बेलसण्ड, बथनाहा, बाढ़, बख्तियारपुर, चिड़ैयाँ, चौड़ादानो, चकिया, चोरौत, ढ़ाका, दरभंगा, डूमरा, धनरूआ, घोड़ासाहन, घोसी, घनश्यामपुर, हरसिद्धी, हायाघाट, जहानाबाद, कल्याणपुर, कंसरिया, काको, करपी, कटिहार, कदवा, कोरहा, कॉटी, कतरा, कुरहनी, केउटी, मधुबन, मेंहसी, मोतिहारी, मनिहारी, मोतिपुर, मुरौल, मनीगाछी, मेजरगंज, मनेर, मोकामा, नानपुर, पटही, पहारपुर, पकरीदयाल, प्राणपुर, फलका, परिहार, पुपरी, पुनपुन, पण्डारक, रक्सौल, रामगढ़वा, रून्नी–सैदपुर, रिगा, सुगौली, साहेबगंज, सकरा, सूरसण्ड, तुरकोलिया ।*

		(लाख रुपये में)
(i)	विविध कार्यालय व्यय	125.20
(ii)	वाहनों का परिचालन एवं रखरखाव	76.61
(iii)	पथ एवं भवनों की मरम्मति	41.86
(iv)	ट्रान्सफार्मरों का क्रय	200.00
(v)	चापाकलों का गड़ाई	2.84
(vi)	केन्द्रीय मंत्री का हवाई–टिकट	0.56
(vii)	अमान्य अभिश्रव	107.99
(viii)	अन्य	71.94
	योग	**627.00**

3.3.6.4 अधिक एवं व्यर्थ व्यय : 20.84 लाख रुपये

उच्चतर दरों पर धोती–साड़ी के अनियमित क्रय के कारण अधिक व्यय हुआ था।

प्रमण्डलीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.), पटना का धोती एवं साड़ी का 58.50 रुपये प्रति नग के निवेदित दर की अवहेलना करके जिलाधिकारी सीतामढ़ी ने दिसम्बर 1995 एवं जनवरी 1996 के मध्य 10.20 लाख रुपये मूल्य का 15 हजार धोती एवं साड़ी 65 रुपये एवं 75 रुपये प्रति नग के उच्चतर दर पर एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया था जिसमें 1.52 लाख रुपये का अधिक व्यय सम्मिलित था।

आवश्यकता का आकलन किए बगैर धोती–साड़ी के क्रय पर व्यर्थ व्यय।

जिलाधिकारी, दरभंगा ने नवम्बर 1995 एवं फरवरी 1996 के मध्य 49.25 लाख रुपये मूल्य का 83.4 हजार धोती एवं साड़ी क्रय किया था। बाढ़ पीड़ितों, जिनके लिए धोती एवं साड़ी का क्रय हुआ था, का पहचान किए बगैर ही आपूरितों में से 29.93 लाख रुपये मूल्य के 50.7 हजार धोती एवं साड़ियों (25560+25160) को 4 वर्षों (दिसम्बर 1995 एवं मार्च 1999 के मध्य) में बाँटा गया था। नवम्बर 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर (5142), बिरौल (12000) एवं दरभंगा सदर (15600) को स्थानान्तरित किए गए 19.32 लाख रुपये मूल्य के शेष 32.7 हजार धोती एवं साड़ियाँ अबतक अवितरित थे (जून 2000)।

3.3.7 अतिदेय अग्रिम : 7.63 करोड़ रुपये

नमूना जाँचित 7 जिलों में ज्ञात हुआ कि कुल मिलाकर 7.63 करोड़ रुपये वसूली/समायोजन नहीं होने से अतिदेय अग्रिम थे, जो आहरित निधि का 6 प्रतिशत था, विवरण निम्नवत थे:

जिला/ पदाधिकारी	अग्रिम की अवधि	अग्रिम का प्रयोजन	अधिकारियों की संख्या जिनसे वसूली की गयी थी	शेष लम्बित अग्रिम (लाख रुपये में)
पूर्वी चम्पारण	1998-99	नाव का परिवहन	2	0.11
अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	1994-95	हेलीपैड का निर्माण एवं भोजन की आपूर्ति	2	0.52
10 अंचलाधिकारी (आदापुर, अरेराज, चिड़ैया, केशरिया, कल्याणपुर, मधुबन, मोतिहारी, पकड़ी–दयाल, पहाड़पुर, रकसौल)	1987-2000	बाढ़ राहत कार्यों के लिए	132	4.36

जिला/ पदाधिकारी	अग्रिम की अवधि	अग्रिम का प्रयोजन	अधिकारियों की संख्या जिनसे वसूली की गयी थी	शेष लम्बित अग्रिम (लाख रुपये में)
दरभंगा, 3 अंचलाधिकारी (बिरौल, दरभंगा, हायाघाट) एवं 3 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (हायाघाट, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान)	1993-2000	नकद दान का वितरण, चारा, नाव का मरम्मत एवं अन्य आकस्मिक व्यय	177	130.60
कटिहार	1995-99	बी.एस.एफ.सी. कटिहार को गेहुँ की आपूर्ति के लिए	--	246.34
	1997-2000	असैनिक शल्य चिकित्सक, कटिहार को दवा के क्रय के लिए	--	1.39
	1998-99	जिला पशुपालन पदा. कटिहार को पशु दवा के क्रय के लिए	--	0.77
	1999-2000	लो. स्वा. अ. प्र., कटिहार को पेय जलापूर्ति के लिए	--	1.00
	1998-99	विविध राहत प्रयोजनो के लिए	32	167.12
8 अंचलाधिकारी (आजमनगर, बारसोई, बलरामपुर, कटिहार, कदवा, मनिंहारी, प्राणपुर, फलका)	1969-2000	नाव भाड़ा एवं अन्य विविध प्रयोजनों के लिए	522	58.27
प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुरशेला	1998-99	नाव भाड़ा के लिए	62	0.35
मुजफ्फरपुर, 3 अंचलाधिकारी (औराई, बोचहा, कटरा)	1985-2000	बाढ़ राहत प्रयोजन के लिए	137	26.71
पटना	फरवरी 1997 से अक्टूबर 1998	विभिन्न राहत प्रयोजन	21	15.66
3 अंचलाधिकारी (बाढ़, पुनपुन, पंडारक)	अनु.	अनु.	अनु.	3.07
सीतामढ़ी	1990–91 के पूर्व से अगस्त 1999	खाद्य आपूर्ति, चारा, नाव एवं अन्य राहत प्रयोजन	20	9.31

जिला / पदाधिकारी	अग्रिम की अवधि	अग्रिम का प्रयोजन	अधिकारियों की संख्या जिनसे वसूली की गयी थी	शेष लम्बित अग्रिम (लाख रुपये में)
8 अंचलाधिकारी (बरगेनिया, बेलसण्ड, बथनाहा, चोरौत, नानपुर, परिहार, पुपरी, रिगा) एवं 3 प्रखंड विकास पदाधिकारी (बरगेनिया, डूमरा, मजोरगंज)	1985–86 से सितम्बर 1999	नकद दान वितरण, चारा, पथों की मरम्मति, नाव इत्यादि	264	47.81
4 जिलाधिकारी (दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, सीतामढ़ी)	1997-2000	बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण करने के लिए गेहूँ की आपूर्ति	--	49.61
योग				**763.00**

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जिलाधिकारियों एवं उनके व्ययन पदाधिकारियों ने व्यक्तियों / निकायों को पूर्व में दिए गए अग्रिमों का वसूली / समायोजन किए बिना ही अग्रिम दिए थे। दीर्घ काल से वसूली के लिए लम्बित इन मामलों में निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

3.3.8 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया : 284.38 करोड़ रुपये

85 प्रतिशत निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपस्थापित नहीं किए गए थे।

राहत कार्यों के लिए आपदा राहत कोष से प्राप्त निधि के लिए जिलाधिकारियों एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर साहाय्य आयुक्त को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

वर्ष 1995–2000 के दौरान साहाय्य आयुक्त ने 55 जिलाधिकारियों[18] (297.37 करोड़ रुपये) एवं 5 विभागों[19] (38.14 करोड़ रुपये) को राहत कार्यों के लिए 335.51 करोड़ रुपये आबंटित किया था। इसके विरूद्ध, 18 जिलाधिकारियों[20] द्वारा मात्र 51.13 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत) के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए गए थे। वांछित लाभार्थियों को बची हुई राहत राशि का संवितरण हुआ या नहीं इससे सहाय्य आयुक्त अनभिज्ञ थे। साहाय्य आयुक्त ने वस्तुस्थिति का अनुसरण जिलाधिकारियों एवं अन्य व्ययन पदाधिकारियों के साथ प्रभावकारितापूर्वक नहीं किया था एवं राज्य स्तरीय समिति तक इसकी सूचना पहुँचाने में विफल थे।

---

[18] *अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, बाँका, बोकारो, चतरा, चाईबासा, दरभंगा, देवघर, दुमका, धनबाद, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, गिरीडीह, गढ़वा, गुमला, गोड्डा, हजारीबाग, जमुई, जहानाबाद, जमशेदपुर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, कैमूर, कोडरमा, लक्खीसराय, लोहरदग्गा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी, मधेपुरा, नालन्दा, नवादा, पटना, पाकुड़, पूर्णिया, पलामू, राँची, रोहतास, सारण, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, शेखपुरा, साहेबगंज, सहरसा, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण।*

[19] *उर्जा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साहाय्य एवं पुनर्वास, पथ निर्माण, जल संसाधन।*

[20] *अररिया, भोजपुर, देवघर, गोपालगंज, गढ़वा, गया, जमशेदपुर, कटिहार, खगड़िया, कोडरमा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, साहेबगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण*

3.3.9 आपदा राहत कोष में अनुश्रवण का अभाव

आपदा राहत कोष के अनुश्रवण का अभाव था।

मुख्य सचिव की शीर्षस्थता में राज्य स्तरीय समिति को यह सुनिश्चित करना था कि आ.रा.कोष से आहरित की गयी राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए कोष की स्थापना की गयी थी। इसके अतिरिक्त राहत उपायों का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रखंड स्तरीय राहत समिति की स्थापना की जानी थी।

यद्यपि राज्य स्तरीय समिति की बैठक नियमित रूप से हुई लेकिन जिलों एवं अन्य विभागों को आबंटित की जाने वाली निधि की मात्रा का निर्णय लेने में मुख्यतः इनके विचार–विमर्श सीमित थे। राहत निधियों का समुचित वितरण एवं राहत कार्यकलापों का अनुश्रवण यह नहीं किया था। नमूना जाँचित जिलों में जिला एवं प्रखंड स्तरों पर राहत समिति अस्तित्व में नहीं थी। राहत कोष का समुचित/समयानुसार/दक्षतापूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राहत्य आयुक्त ने कोई अन्ततः नियंत्रण कायम नहीं किया था। परिणामस्वरूप, संवितरण कुप्रबन्धित थे एवं दुरुपयोग तथा दुर्विनियोजन इत्यादि के मामले में वृद्धि हुई थी। आ.रा.कोष के नियमित एवं बड़े पैमाने पर दुरुपयोग/दुर्विनियोजन के विरूद्ध बचाव उपायों का पूर्णतः अभाव था।

मामले सरकार को संदर्भित किये गये (अगस्त 2000); उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 2001)।